सी. बी. II संख्या 234

लोक-सभा

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967

(प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

[1 मई, 1969 को पेश किया गया]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मई, 1969/बैशाख, 1891 (शक)

मूल्य : 60 पैसे

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रवर समिति की रचना	(i)
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	(ii)–(iii)
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक	1—4
परिशिष्ट एक	
विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव	5
परिशिष्ट दो	
उन संस्थाओं/व्यक्तियों इत्यादि के नाम दर्शाने वाला विवरण जिनसे प्रवर समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए	6–7
परिशिष्ट तीन	
उन संस्थाओं/व्यक्तियों के नाम दर्शाने वाला विवरण जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य दिया	8–9
परिशिष्ट चार	
प्रवर समिति की उप-समिति का प्रतिवेदन	10—13
परिशिष्ट पांच	
प्रवर समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश	14—37

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी प्रवर समिति

समिति की रचना

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम—सभापति

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री स० मो० बनर्जी
4. श्री ग्रार० डी० भण्डारे
5. श्री चन्द्रिका प्रसाद
6. श्री यशवन्तराव चव्हाण

*7. श्री जेड० एम० काहानडोल

8. श्री तुलसीराम दशरथ कांम्बले
9. श्री एस० एम० कृष्ण
10. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई
11. श्री मधु लिमये
12. डा० महादेव प्रसाद
13. श्री बाकर ग्रली मिर्जा
14. श्री पीलू मोदी
15. श्री ग्रमृत नाहाटा
16. श्री के० एस० रामस्वामी
17. श्री वी० सम्बशिवम
18. श्री द्वैपायन सेन
19. श्री शशि भूषण
20. श्री शिव नारायण
21. श्री विद्याचरण शुक्ल
22. श्री ग्रार० के० सिन्हा
23. श्री दीवान चन्द शर्मा
24. श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव ग्रौर वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

श्री जी० एन० सक्सेना, सहायक ड्राफ्ट्स मेन, राजभाषा (विधायी) ग्रायोग, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० एस० वर्मा—उप-सचिव
2. श्री जी० इ० कपूर—ग्रवर-सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

---

*श्री माली मरियप्पा के निधन के कारण हुई रिक्तता में 22 जुलाई, 1968 से नियुक्त।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, प्रवर समिति का सभापति जिसे भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने तथा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक* सौंपा गया था । समिति द्वारा उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर, समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक के साथ उसका प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

2. विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव श्री दीवान चन्द शर्मा ने सभा में 14 मार्च, 1968 को पेश किया था और उस पर 29 मार्च तथा 11 अप्रैल, 1968 को चर्चा हुई थी । विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव श्री दीवान चन्द शर्मा ने 11 अप्रैल, 1968 को पेश किया था और उसी दिन स्वीकृत हुआ (परिशिष्ट एक) था ।

3. समिति की कुल 15 बैठकें हुई ।

4. समिति का भावी कार्यक्रम निश्चित करने के लिए इसकी पहली बैठक 8 मई, 1968 को हुई । उस बैठक में समिति ने फैसला किया कि किसी भी प्रकार की कला (लिखित, दृश्य या कोई अन्य), विज्ञान, साहित्य (संस्कृत समेत आधुनिक तथा ओरिएन्टल) शिक्षा, चित्र कला, मूर्ति कला, नृत्य, विज्ञापन, न्यायशास्त्र आदि में रुचि रखने वाले सार्वजनिक निकायों, संगठनों, संस्थाओं या व्यक्तियों का साक्ष्य लिया जाय । समिति ने यह भी फैसला किया कि रुचि रखने वाली पार्टियों से विधेयक पर 31 मई, 1968 तक ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की जाय ।

5. विधेयक के उपबन्धों पर विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों/संगठनों से समिति को 36 ज्ञापन प्राप्त हुए जो समिति के सदस्यों को भेजे गये (परिशिष्ट दो) ।

6. 6 जून, 17 जुलाई, 3 और 29 अगस्त, 16, 17 और 18 सितम्बर, 16 नवम्बर और 5 दिसम्बर, 1968 को हुई क्रमश: दूसरी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवी, नवीं, दसवी, 11 वीं और 12 वीं बैठकों में समिति ने संस्थाओं/व्यक्तियों/संगठनों जो परिशिष्ट तीन में दिये गये हैं, द्वारा दिया गया साक्ष्य सुना ।

समिति की आठवीं, नवीं और दसवीं बैठकें साक्ष्य सुनने के लिए बम्बई के कौंसिल हाल में हुई ।

7. समिति का प्रतिवेदन 23 जुलाई, 1968 को पेश किया जाना था । चूंकि ऐसा सम्भव नहीं था इस लिए समिति ने 17 जुलाई, 1968 को हुई अपनी पांचवीं बैठक में फैसला किया कि प्रतिवेदन पेश करने का समय छठे सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाने के लिए कहा जाय । आवश्यक प्रस्ताव 22 जुलाई, 1968 को सभा में पेश किया गया और स्वीकृत हुआ । 5 दिसम्बर, 1968 को हुई समिति की 12 वीं बैठक में उसने फिर फैसला किया कि उसका प्रतिवेदन पेश करने के लिए समय बजट सत्र (1969) के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाने के लिए कहा जाय जिस पर सभा ने 19 दिसम्बर, 1968 को स्वीकृति प्रदान की ।

8. समिति ने यह भी फैसला किया कि समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को छपवाया जाय और सभा-पटल पर रखा जाय ।

9. 22 जनवरी, 1969 को हुई समिति की चौदहवीं बैठक में उसने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया और कुछ समय चर्चा के पश्चात् 'अश्लीलता' की परिभाषा सम्बन्धी संशोधन पर तथा विधेयक के अन्य संशोधनों पर विचार करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त करने का फैसला किया ।

10. उप समिति ने 23 अप्रैल, 1969 को अपना प्रतिवेदन प्रवर समिति को प्रस्तुत किया (परिशिष्ट चार) ।

11. समिति ने 23 अप्रैल, 1969 को हुई अपनी बैठक में उप-समिति के प्रतिवेदन पर और विधेयक पर विचार किया । समिति ने उसी दिन अपने प्रतिवेदन पर भी विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

12. विधेयक में प्रस्तावित मूल संशोधनों के विषय में समिति के विचार निम्नलिखित पैराग्राफों में विस्तृत रूप से दिये गये हैं ।

13. **खण्ड 3**—यह बात समिति के ध्यान में लाई गई कि अश्लील सामग्री के मुद्रण, विक्रय, परिचालन आदि को रोकने के लिए वर्तमान विधि के उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं । समिति के ध्यान में यह बात भी लाई गई कि अश्लील सामग्री के मुद्रण, विक्रय, परिचालन

*विधेयक भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 दिनांक 3 मई, 1963 में प्रकाशित हुआ और 15 दिसम्बर, 1967 को राज्य सभा द्वारा पास किया गया ।

आदि के लिए जिन व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये जाते हैं वे ऐसा करने से रुकते नहीं हैं। इसके विपरीत, ऐसे व्यक्ति, ऐसी अश्लील सामग्री के मुद्रण, विक्रय और व्यापक परिचालन से कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने क प्रयत्न करते हैं। इस बात को देखते हुए कि यह बुराई पाई जाती है, समिति का विचार है कि वर्तमान विधि को प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि इस बुराई को रोका जा सके। इसलिए समिति ने यह उपबन्ध करने के लिए एक संशोधन रखा है कि उन व्यक्तियों से सद्व्यवहार के लिए एक बांड लिया जाय जो बराबर (क) अश्लील सामग्री की बिक्री के लिए उन्हें लिखते हैं, मुद्रित करते हैं, इत्यादि या (ख) अश्लील सामग्री का आयात करते हैं, उन्हें बेचते हैं इत्यादि।

14. समिति की यह भी राय है कि कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र में कुछ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों (जिनमें से कुछ महिलाएं होनी चाहिएं) के एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग (युनाइटेड किंगडम में रायल कमीशन आफ आर्ट के समान) की स्थापना से उच्च श्रेणी की कलात्मक अथवा साहित्यिक गुणों वाली कृतियों के विकास, संवर्धन तथा वितरण में बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। समिति का विचार है कि यदि इस प्रकार का एक आयोग बनाया जाय तो कलाकार, लेखक आदि (जो इस आधार पर कि उनकी कृति अश्लील है मुकदमे के कारण सम्भाव्य परेशानी से बचना चाहते हों) अपनी कृति पर राय जानने के लिए उसे आयोग के पास भेज सकते हैं और आयोग की इस राय से लेखकों, प्रकाशकों और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलेगा कि कोई पुस्तक आदि कला, विज्ञान आदि की सही कृति है अथवा नहीं। इसलिए समिति आशा करती है कि सरकार ऐसा आयोग गठित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी।

15. प्रवर समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाय।

नई दिल्ली;
दिनांक 23 अप्रैल, 1969

तेन्नेटि विश्वनाथम्
सभापति,
प्रवर समिति।

1963 का विधेयक सं० 4-सी०

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया)

(जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन को उपदर्शित करते हैं)

भारतीय दण्ड संहिता को और संशोधित करने के लिए तथा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ––

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा ।

1860 का अधिनियम 45 की धारा 292 का संशोधन ।

2. भारतीय दण्ड संहिता में, ––

(क) धारा 292 को उसकी उपधारा (2) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (2) के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :––

"(1) उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुकता के लिए रुचिकर है या उसका या (जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां)

उसकी किसी मद का प्रभाव, समग्ररूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को, भ्रष्ट तथा दुराचारी बनाए जिनके द्वारा उसमें अन्तर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्भाव्य है ।";

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा 292 की उपधारा (2) में,–

(i) "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से" शब्दों के स्थान पर "प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) अपवाद के स्थान पर निम्नलिखित अपवाद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

"**अपवाद**––इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर न होगा––

(क) कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति ––

(i) जिसका प्रकाशन लोकहित के लिए होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्वता या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है, अथवा

(ii) जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती है;

(ख) कोई ऐसा रूपण जो––

(i) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अर्थ के अन्दर किसी प्राचीन संस्मारक पर या में, अथवा 1958 का 24

(ii) किसी मंदिर पर या में या मूर्तियों के प्रवहण के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर,

रूपकृत, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा रूपित हो ।";

(ग) धारा 293 में "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से" शब्दों के स्थान पर "प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

1898 के अधिनियम 5 की धाराओं 99क, 108 और अनुसूची 2 का संशोधन।

3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में,—

(क) धारा 99क की उपधारा (1) में—

(i) "राजद्रोहात्मक बात" शब्दों के स्थान पर "राजद्रोहात्मक या अश्लील बात" शब्द, तथा

(ii) "धारा 124क या धारा 153क या धारा 295क के अधीन दण्डनीय" शब्दों के स्थान पर "धारा 124क या धारा 153क या धारा 292 या धारा 293 या धारा 295क के अधीन दण्डनीय" शब्द,

प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) धारा 108 में,—

(1) "जो ऐसी सीमाओं के भीतर या बाहर" शब्दों के पश्चात् "(i)" कोष्ठक और अंक अन्त:स्थापित किए जाएंगे ;

(2) "किसी भी प्रकार दुष्प्रेरण करता है" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1860 का 45 ।

"(ii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 में यथानिर्दिष्ट कोई अश्लील चीज रचता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है, विक्रय के लिए रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहण करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, लोक प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है ।"

(ग) अनुसूची 2 में, भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 292 और 293 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7	8
292	अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय, आदि ।	वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी ।	वारण्ट	जमानतीय	अशमनीय	प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा ”	सेशन न्यायालय
293	तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि ।	वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी ।	वारण्ट	जमानतीय	अशमनीय	प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा”	सेशन न्यायालय

M4Law/69—26-4-69—000—GIPF

परिशिष्ट—एक

(देखिये प्रतिवेदन का परा 2)

प्रवर समिति को विधेयक सौंपने के लिए लोक सभा में पेश किया गया प्रस्ताव

"कि भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन करने और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, 24 सदस्यों अर्थात्

(1) श्री विद्याधर बाजपेयी

(2) श्री स० मो० बनर्जी

(3) श्री आर० डी० भंडारे

(4) श्री चन्द्रिका प्रसाद

(5) श्री यशवन्तराव चव्हाण

(6) श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले

(7) श्री एस० एम० कृष्ण

(8) श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई

(9) श्री मधु लिमये

(10) डा० महादेव प्रसाद

(11) श्री माली मरियप्पा

(12) श्री बाकर अली मिर्जा

(13) श्री पीलू मोदी

(14) श्री अमृत नाहाटा

(15) श्री के० एस० रामस्वामी

(16) श्री वी० सम्बशिवम

(17) श्री द्वैपायन सेन

(18) श्री शशि भूषण

(19) श्री शिव नारायण

(20) श्री विद्या चरण शुक्ल

(21) श्री आर० के० सिन्हा

(22) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(23) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्

(24) श्री दीवान चन्द शर्मा

की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे अनुदेश दिया जाये कि वह अगले सत्र के दूसरे दिन तक प्रतिवेदन दे ।"

परिशिष्ट—दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 5)

जिन संस्थाओं/व्यक्तियों आदि से प्रवर समिति को ज्ञापन / अभ्यावेदन आदि प्राप्त हुए उनके नाम दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	किससे प्राप्त हुआ	की गई कार्यवाही
1	2	3
1	श्री पी० ए० सैयद, सिविल न्यायाधीश तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, लिम्बडी जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	सदस्यों में परिचालित किया गया
2	श्री पी० वी० आकिलंदम, मद्रास–14 . . .	तदेव
3	श्री बुद्ध देव बोस	तदेव
4	भारतीय फिल्म फैडरेशन, बम्बई	तदेव
5	श्री डी० के० बेदेकर, महाराष्ट्र साहित्य परिषद्, पूना .	तदेव
6	डा० आर० के० दास गुप्ता, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्यों में परिचालित किया गया और 6–6–68 को साक्ष्य लिया गया ।
7	श्री सिताशु मैत्रा, आंग्ल भाषा विभाग के अध्यक्ष, रवीन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय, कलकत्ता	सदस्यों में परिचालित किया गया ।
8	श्री पी० सी० सेन, कलकत्ता कला संस्था, कलकत्ता–13 .	सदस्यों में परिचालित किया गया ।
9	श्री जेवियर, तोट्टाकत, चेनूर, वारापुजा, केरल . .	तदेव
10	कला केन्द्र, भागलपुर	तदेव
11	कुमारी दुर्गा भागवत, बम्बई	तदेव
12	प्रोफेसर, सी० पी० के० तारागन, आंग्लभाषा संस्थान, केरल विश्वविद्यालय	तदेव
13	एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन आफ इंडिया, बम्बई .	सदस्यों में परिचालित किया गया और 17–7–68 को साक्ष्य लिया गया ।
14	श्री आर० एस० त्रिपाठी, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	सदस्यों में परिचालित किया गया ।
15	डा० वी० राघवन्, संस्कृत के प्राध्यापक, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास	सदस्यों में परिचालित किया गया और 3-8-68 को साक्ष्य लिया गया ।
16	श्री अरुण प्रकाश, अवस्थी, सचिव, 'ज्योत्सना' कलकत्ता . .	सदस्यों में परिचालित किया गया और 17-7-68 को साक्ष्य लिया गया ।
17	श्री पी० एस० शास्त्री, आंग्लभाषा विभाग, के अध्यक्ष, नागपुर, विश्वविद्यालय, नागपुर	सदस्यों में परिचालित किया गया ।
18	श्री जी० टी० देशपाण्डे, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	तदेव

1	2	3
19	राजस्थान विश्वविद्यालय	सदस्यों में परिचालित किया गया ।
20	श्री कृष्ण चन्दर, बम्बई, 52	तदेव
21	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, मुख्य कार्यालय, दिल्ली .	सदस्यों में परिचालित किया गया और 18-9-68 को साक्ष्य लिया गया ।
22	प्रोफेसर, सी० पी० के० तारागन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन का अनुपूरक अंश	सदस्यों में परिचालित किया गया ।
23	श्री शशिधर बाजपेयी	सदस्यों में परिचालित किया गया और 3-8-68 को साक्ष्य लिया गया ।
24	श्रीमती यू० लक्ष्मी कान्तम्मा, बापतला टाउन, आन्ध्र प्रदेश .	सदस्यों में परिचालित किया गया और 3-8-68 को साक्ष्य लिया गया ।
25	श्री जय प्रकाश गुप्त, आकाशवाणी, जयपुर . . .	सदस्यों में परिचालित किया गया और 29-8-69 को साक्ष्य लिया गया ।
26	सर्व सेवा संघ	सदस्यों में परिचालित किया गया ।
27	श्री ए० बी० शाह, सांस्कृतिक स्वातंत्र्य की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, बम्बई	सदस्यों में परिचालित किया गया और 16-9-68 को साक्ष्य लिया गया ।
28	श्रीमती जयश्री रायजी	सदस्यों में परिचालित किया गया ।
29	पश्चिम भारतीय चलचित्र निर्माता संस्था, बम्बई, . .	सदस्यों में परिचालित किया गया और 16-9-68 को साक्ष्य लिया गया ।
30	प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं की फैडरेशन . .	सदस्यों में परिचालित किया गया और 17-9-68 को साक्ष्य लिया गया ।
31	श्रीमती मालिनी-बीसेन	सदस्यों में परिचालित किया गया और 17-9-68 को परिचालित किया गया ।
32	श्रीमती इंदुमती जी० तोंगांवकर	सदस्यों में परिचालित किया गया और 18-9-68 को साक्ष्य लिया गया ।
33	श्रीमती प्रमीला जयाकर	सदस्यों में परिचालित किया गया ।
34	श्रीमती चन्द्रकला ए० हाता	सदस्यों में परिचालित किया गया और 17-9-68 को साक्ष्य लिया गया ।

* * * * *

*****इनके अलावा दो अनुपूरक ज्ञापन श्री जय प्रकाश गुप्त, आकाशवाणी, जयपुर, और प्रोफेसर ए० बी० शाह, सांस्कृतिक स्वातंत्र्य की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, बम्बई से प्राप्त हुए ।

परिशिष्ट तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 6)

उन व्यक्तियों/संगठनों के नाम दर्शाने वाला विवरण जिन्होंने प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य दिया ।

क्रमांक	व्यक्ति/संगठन का नाम	जिस तारीख को साक्ष्य लिया गया
1	2	3
1	डा० आर० के दास गुप्त, आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के प्रमुख, दिल्ली विश्वविद्यालय	6-6-68
2	श्री जिम्मी ओलिया, मंत्री भारतीय चलचित्र संघ, बम्बई	6-6-68
3	श्री अरुण प्रकाश, अवस्थी, मंत्री ज्योत्सना, कलकत्ता . .	17-7-68
4	भारतीय विज्ञापन अभिकरण संस्था, बम्बई । . .	17-7-68
	प्रवक्ता	
	1 श्री वाई० एस० जोशी	
	2 श्री डी० पी० प्रिंजा	
5	डा० वी० राघवन, संस्कृत के प्रोफेसर, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास	3-8-68
6	श्रीमती यू० लक्ष्मीकान्तम्मा, वापाल्ला, (जिला गुन्तुर) आंध्र प्रदेश	3-8-68
7	श्री शशिधर, वाजपेयी मंत्री, मानव सेवा संघ, कानपुर . .	3-8-68
8	श्री जय प्रकाश गुप्त, आकाशवाणी, जयपुर . . .	29-8-68
9	पश्चिमी भारत, चलचित्र निर्माता संस्था, बम्बई . .	16-9-68
	प्रवक्ता	
	1 श्री जे० पी० तिवारी	
	2 श्री जे० एन० धर	
	3 श्री बी० एन० कुलकर्णी	
10	श्री ए० बी० शाह, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वाधीनता संस्था, बम्बई	16-9-68
11	श्री जग मोहन, बम्बई	16-9-68
12	श्री टी० एम० रामचन्द्रन सम्पादक, फिल्म वर्ल्ड, बम्बई . . .	17-9-68
13	श्रीमती मालिनी बिसन बम्बई	17-9-68
14	श्री आई० एस० जौहर, प्रधान, इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन, बम्बई	17-9-68
15	श्रीमती जयश्री रायजी, बम्बई	17-9-68
16	श्रीमती विमलाबाई देशमुख, संसद् सदस्य और श्रीमनी तारा सप्रे, संसद् सदस्य	17-9-68
17	श्रीमती चन्द्रकला ए० हाटे, बम्बई	17-9-68
18	प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं का एसोसिएशन का संघ, बम्बई	17-9-68

1	2	3
	प्रवक्ता	
	1 श्री जामन एच० शाह	
	2 श्री जी० एल० मिरचन्दानी	
19	श्री अलीक्यू पदमसी, उप-प्रधान थियेटर, ग्रुप एण्ड चीफ आफ फिल्म्स, रेडियो एण्ड क्रियेटिव राईटिंग, बम्बई . . .	18-9-68
20	प्रोफेसर, सी० पी० थाराजन, प्रोफेसर-इन-चार्ज, विश्वविद्यालय आंग्ल भाषा संस्था, त्रिवेन्द्रम	18-9-68
21	श्रीमती इन्दुमति जी० तोंगओंकर तथा श्रीमती इन्दुमति फालकी	18-9-68
22	डा० बी० वी० रंगानाथ, सार्वजनिक सम्बन्ध प्रबन्धक, इंडियन आयल कारपोरेशन, बम्बई . . .	18-9-68
23	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन . .	18-9-68
	प्रवक्ता	
	श्रीमती मिथन जे० लाम और	
24	भारतीय महिला वकील संघ और महाराष्ट्र राज्य परिषद्	
	प्रवक्ता	
	श्रीमती सुजाता मनोहर	
25	श्री जे० एस० कश्यप, बम्बई	18-9-68
26	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	16-11-68
	प्रवक्ता	
	1 श्री अजीत सिंह चड्ढा, प्रधान दिल्ली, विश्वविद्यालय छात्र संघ, दिल्ली	
	2 श्री दिनेश कुमार सांस्कृतिक आयोजक, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, दिल्ली	
27	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	5-12-68
	प्रवक्ता	
	1 मिस नीलम धमीजा, मरांडा हाउस, दिल्ली	
	2 मिस राधा राम, मरांडा हाउस, दिल्ली	
	3 मिस कोकिला जुत्शी, इन्द्रप्रस्थ कालेज	

परिशिष्ट चार

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 107)

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, संबंधी प्रवर समिति की उप-समिति का प्रतिवेदन

मैं, भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति की उप-समिति का सभापति, उप-समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन पेश किये जाने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, अपना प्रतिवेदन पेश करता हूं।

2 "अश्लीलता" की परिभाषा पर, जैसी कि खण्ड 2 के उप-खण्ड (क) तथा विधेयक के सभी संशोधनों में दी हुई है, विचार करने के लिये 22 जनवरी, 1969 को हुई प्रवर समिति की 14 वीं बैठक में यह उप-समिति नियुक्त की गई थी।

3 उप-समिति की कुल तीन बैठकें हुई।

4 उपसमिति ने विधेयक के खण्ड 3 के निम्नलिखित संशोधनों पर विचार तथा उन्हें पास कर लिया है:—

"पृष्ठ 3, पंक्ति 21 के पश्चात् यह रखा जाये : (कक) धारा 108 में—

(1) "जो ऐसी सीमाओं के भीतर अथवा बाहर" के पश्चात् "(एक)" रखा जाये;

(2) खण्ड (ग) के पश्चात् यह रखा जाये :—

(दो) अश्लील साहित्य "जैसा कि भारतीय दंड संहिता का धारा 292 में उल्लिखित है, तैयार करता है, प्रकाशित करता है अथवा बिक्री के लिये रखता है, आयात, निर्यात करता है, देता है, बेचता है, किराये पर देता है, बाटता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है अथवा किसी अन्य प्रकार बांटता है।"

5 उप-समिति की राय है कि उच्च शक्ति प्राप्त आयोग जैसी कोई संस्था (जैसे ब्रिटेन में रायल कमीशन आफ आर्ट), जिसमें कला विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति (जिनमें कुछ महिलाएं भी होनी चाहिएं) हों, उच्च कोटि के साहित्य की कृतियों के विकास, उसकी उन्नति तथा वितरण के लिये बहुत सहायक होगी। यदि ऐसा आयोग गठित किया गया तो कलाकार, लेखक आदि (जो उनकी कृति के अश्लील होने के आधार पर दण्ड दिये जाने की परेशानी से बचना चाहते हों) आयोग की राय के लिये उसको अपनी कृति भेज सकते हैं और आयोग की राय से कि क्या कोई पुस्तक कला, विज्ञान आदि की वास्तविक कृति है, लेखकों, प्रकाशकों और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को मार्गदर्शन मिलेगा। उप-समिति को आशा है कि सरकार ऐसा आयोग गठित करने के लिये शीघ्र कदम उठायेगी।

6 उप-समिति सिफारिश करती है कि विधेयक में जिन संशोधनों का सुझाव दिया गया है और इस से पूर्व के पैराग्राफों में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के गठन के बारे में सिफारिश को प्रवर समिति द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

नई दिल्ली ;
दिनांक 17 अप्रैल, 1969

तेन्नेटि विश्वनाथम
सभापति
प्रवर समिति की उप-समिति

अनुबन्ध

भारतीय दण्ड संहिता विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति की उप-समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

उप-समिति की बैठक शुक्रवार, 21 फरवरी, 1969 को 4.10 म० प० से 6.20 बजे म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्——सभापति

सदस्य

2 श्री आर० डी० भण्डारे

3 श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई

4 श्री बाकर अली मिर्जा

5 श्री पीलू मोदी

6 श्री के० एस० रामस्वामी

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1 श्री एस० एस० वर्मा——उप-सचिव

2 श्री जी० एस० कपूर——अवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला——उप-सचिव

2. उप-समिति ने संशोधन संख्या 1–3 के आशयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। संशोधन संख्या 1 के संदर्भ में उप-समिति सहमत थी कि "अश्लीलता" की परिभाषा में "इरादा" शामिल किया जाना चाहिए और निम्नलिखित प्रारूप से इस शर्त पर सहमत हुई, कि जो मौखिक संशोधन आवश्यक समझे जायें वे किये जायें :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 1–7 के स्थान पर यह रखा जाये

"कोई चित्र अथवा अन्य कोई वस्तु अश्लील समझी जायेगी यदि यह कामोद्दीपक हो और नीच अभिलाषाओं को अपील करने वाली हो (जहां दो अथवा उस से अधिक वस्तुएं हों) और आशय यह हो कि इनमें किसी एक वस्तु का, यदि उसे एक साथ लिया जाये, प्रभाव उन व्यक्तियों को भ्रष्ट करने का हो जिनके द्वारा सभी संग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसमें दिये गये विषय के पढ़े जाने, देखे जाने अथवा सुने जाने की सम्भावना है।"

3. इसके पश्चात् समिति शेष संशोधनों पर आगे विचार आरम्भ करने के लिये मार्च के आरम्भ में बैठक रखने का तय करके स्थगित हुई।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति की उप-समिति की 21 फरवरी, 1969 को हुई बैठक के कार्यवाही-सारांश

का

संशोधन

कार्यवाही–सारांश का पैरा 2

प्रारूप संशोधन के अन्त में निम्नलिखित नोट के रूप में जोड़ा जाये :—

"(श्री के० एस० रामस्वामी परिवर्तन से सहमत नहीं हुए)"

दो

दूसरी बैठक

उप-समिति की बैठक गुरुवार, 3 अप्रैल, 1969 को 4 म० पू० से 5.30 बजे म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्—सभापति

सदस्य

2. श्री आर० डी० भण्डारे
3. श्री बाकर अली मिर्जा
4. श्री पीलू मोदी
5. श्री विद्याचरण शुक्ल

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री टी० सी० ए० श्री निवासवर्धन, संयुक्त सचिव
2. श्री एस० एस० वर्मा, उप-सचिव
3. श्री जी० एस० कपूर, अवर सचिव

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

2. उप-समिति ने संशोधनों पर आगे विचार आरम्भ किया।

3. कुछ चर्चा के पश्चात्, उप-समिति ने विधेयक के खण्ड 3 में निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया :—

"पृष्ठ 3, पंक्ति 2 के पश्चात् यह रखा गया जाय—

धारा 108 में —

'(क क) "जो, ऐसी सीमा के भीतर या बाहर" के पश्चात् "—(i)" रखा जाय;

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात् यह रखा जाय––

"(ii) किसी ऐसी सामग्री को, जिसका भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 में निर्देश किया गया है, बनाता है, तैयार करता है, प्रकाशित करता है या विक्रय के लिए रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, किसी को देता है, बेचता है, किराये पर देता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य रीति से परिचालित करता है।"

4. उप-समिति का विचार है कि कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध व्यक्तियों का एक उच्च शक्ति-प्राप्त आयोग (यूनाइटेड किंगडम में रायल कमीशन आफ आर्ट के समान) स्थापित करने से उच्च कलात्मक अथवा साहित्यिक गुणों वाली कृतियों के विकास, संवर्धन तथा वितरण में बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। यदि ऐसे आयोग स्थापित किया जाता है तो वे कलाकार या लेखक (जो इस आधार पर मुकदमें के कारण कि उनकी कृति अश्लील है सम्भाव्य परेशानी से बचना चाहते हों) अपनी कृति आयोग की राय के लिए उसके पास भेज सकते हैं। उप-समिति का विचार है कि यदि वह आयोग किसी कला अथवा विज्ञान की पुस्तक या चित्र आदि की कृतियों को सही घोषित करता है तो न्यायालय उन्हें अश्लील घोषित करने में सावधानी से काम लेंगे। इसलिए उप-समिति आशा करती है कि ऐसा आयोग स्थापित करने के लिए सरकार शीघ्र कार्रवाई करेगी।

5 उप-समिति ने 21 फरवरी, 1969 को हुई अपनी पहली बैठक में स्वीकृत संशोधन पर पुनर्विचार किया और रायल कमीशन आफ आर्ट जैसे एक आयोग की नियुक्ति संबंधी सुझाव स्वीकृत होने की दृष्टि से उस संशोधन पर कार्रवाई न करने का फैसला किया।

6. उप-समिति ने प्रवर समिति के विचारार्थ विधेयक पर प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करने का फैसला किया। इस सिलसिले में सभापति को प्राधिकृत किया गया कि वह प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करें और उप-समिति की आगामी बैठक में उसके विचारार्थ प्रारूप प्रतिवेदन को उप-समिति के सदस्यों को परिचालित करें।

उसके पश्चात् उप-समिति स्थगित हुई।

तीन
तीसरी बैठक

उप-समिति की बैठक गुरुवार, 17 अप्रैल, 1969 को 10.00 बजे से 10.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्––सभापति

सदस्य

2. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
3. श्री बाकर अली मिर्ज़ा
4. श्री पीलू मोदी

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त समिति तथा वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला––उप-सचिव

2. उप-समिति ने निम्नलिखित रूप भेद के अध्यधीन अपने प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया :––

पैरा 5, पंक्ति 3

"व्यक्तियों" के पश्चात् "(जिनमें से कुछ महिलाएं होनी चाहिएं)" शब्द रखे जायें।

3. सभापति को उप-समिति का प्रतिवेदन प्रवर समिति में पेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

4. उसके पश्चात् उप-समिति स्थगित हुई।

परिशिष्ट पांच

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 संबंधी प्रवर समिति की बैठकों के कार्यवाही--सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 8 मई, 1968 को 4० म० प० से 5.00 बजे म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्--सभापति

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
4. श्री एस० एम० कृष्ण
5. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
6. श्री माली मरियप्पा
7. श्री बाकर अली मिर्ज़ा
8. श्री पीलू मोदी
9. श्री अमृत नाहाटा
10. श्री वी० सम्बशिवम्
11. श्री द्वैपायन सेन
12. श्री शशि भूषण
13. श्री आर० के० सिन्हा
14. श्री दीवान चन्द शर्मा

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा--संयुक्त सचिव तथा वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० एस० वर्मा--उप सचिव
2. श्री एन० आर० सुब्रह्मण्यम--अवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहरचन्द चावला--उप-सचिव

2. सभापति ने विधि मंत्री श्री पी० गोविन्द मेनन को जो कि प्रवर समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के अन्तर्गत बैठक में उपस्थित होने की अनुमति दी।

3. तत्पश्चात् समिति ने इस बात पर विचार किया कि राज्य सभा द्वारा पास किए गये रूप में विधेयक के बारे में आगे साक्ष्य लिया जाये या नहीं । थोड़ी चर्चा के बाद समिति ने यह सुझाव अनुभव किया कि दूसरी सभा की प्रवर समिति ने जो साक्ष्य लिया है वह विशद रूप में नहीं है, और विधेयक से प्रभावित सभी प्रकार के हितों को उस साक्ष्य में शामिल नहीं किया गया है, अतः उन सार्वजनिक निकायों, संगठनों, संस्थाओं या व्यक्तियों से नये सिरे से साक्ष्य लिया जाये जो कि 'कला के किसी रूप में (लिखित, दृश्य या अन्य प्रकार की), विज्ञान, साहित्य (आधुनिक तथा प्राच्य और संस्कृत), शिक्षा, चित्रकला, मूर्ति-कला, नृत्य विज्ञापन, विधिशास्त्र आदि में रूचि रखते हों ।

4. इस के बाद समिति ने इस सम्बन्ध में जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति के मसौदे का अनुमोदन किया (परिशिष्ट) ।

5. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि 'अश्लीलता' के बारे में भारत के उच्चतम न्यायालय, ग्रेट ब्रिटेन की प्रिवी कांउसिल तथा संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये विनिर्णयों/फैसलों का एक संग्रह गृह-कार्य तथा विधि मंत्रालयों द्वारा तैयार किया जाये और उसे उनमें परिचालित किया जाये ।

6. समिति ने सभापति को यह प्राधिकार दिया कि वह मौखिक साक्ष्य के लिये विभिन्न पक्षों से लिखित साक्ष्य लेने के बाद उन पक्षों को चुने और हरेक के मामले में समय तथा तारीख निश्चित करे ।

7. इसके पश्चात समिति ने मौखिक साक्ष्य लेने के लिए 6 जून, 1968 को 11 बजे मध्यान्ह पूर्व तथा उससे अगले दिनों अपनी बैठक करने का निश्चय किया । समिति ने बाद के दिनों में प्रतिदिन अपनी बैठक 9.30 बजे मध्यान्ह पूर्व से आरम्भ करने का निश्चय किया ।

8. तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

लोक सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 [जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 और 293 को (जिनमें अश्लील पुस्तकों तथा अन्य सामग्री को बेचने आदि के लिए दण्ड देने का उपबन्ध किया गया है में संशोधन करने की व्यवस्था रखी गई है)] सम्बन्धी लोक सभा की प्रवर समिती ने अपनी पहली बैठक श्री तन्नेटि विश्वनाथम, संसद सदस्य, के सभापतित्व में 8 मई, 1968 को आयोजित की । समिति ने निश्चय किया कि ऐसे सार्वजनिक निकाय, संगठन, संस्थाएं अथवा व्यक्ति जोकि किसी प्रकार की कला (लिखित दृश्य अथवा अन्य प्रकार की कला), विज्ञान सहित्य (आधुनिक तथा प्राच्य जिसमें संस्कृति भी सम्मिलित है), शिक्षा, चित्र-कला, मूर्ति कला, नृत्यकला, विज्ञापन, विधिशास्त्र आदि में मरुचि रखते हों, अपने ज्ञापन समिति के विचारार्थ भेजें ताकि वे सचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली, के पास 31 मई, 1968 तक या उससे पहले पहुंच जायें । समिति को जो ज्ञापन प्रस्तुत किये जायेंगे वे समिति के अभिलेख का अंग होंगे और उन्हें पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा तथा किसी को भी परिचालित नहीं किये जायेंगे क्योंकि ऐसी कार्यवाही समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगी ।

जो समिति के सामने मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हों उनसे निवेदन है कि वे इस बारे में अपना इरादा समिति के विचारार्थ लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली, को सूचित कर दें । यदि वे चाहें तो विधेयक की एक प्रति लोक सभा सचिवालय के बिक्री अनुभाग से प्राप्त कर सकते हैं ।

मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए समिति की बैठकें नई दिल्ली में 6 जून, 1968 से आरम्भ होंगी ।

नई दिल्ली ;

दिनांक 8 मई, 1968

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 6 जून, 1968 को 11.30 से 1.40 बजे म० प० तक और फिर 3.00 म० प० से 5.00 बजे म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम——सभापति

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री आर० डी० भंडारे
4. श्री चन्द्रिका प्रसाद
5. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
6. श्री मधु लिमये
7. श्री बाकर अली मिर्जा
8. डा० महादेव प्रसाद
9. श्री पीलू मोदी
10. श्री अमृत नहाटा
11. श्री के० एस० रामास्वामी
12. श्री वी० सम्बशिवम
13. श्री द्वैपायन सैन
14. श्री शशि भूषण
15. श्री शिव नारायण
16. श्री विद्याचरण शुक्ल
17. श्री आर० के० सिन्हा
18. श्री अटल बिहारी बाजपेयी
19. श्री दीवान चन्द शर्मा

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा——संयुक्त सचिव तथा वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० एस० वर्मा——उप सचिव
2. श्री जी० एस० कपूर——अवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला——उप सचिव

गवाहियां

श्री आर० के० दास गुप्त——आधुनिक भारतीय भाषाओं के विभाग के अध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय

श्री जिम्मी ओल्लिया——सचिव, भारत का चलचित्र महासंघ, बम्बई

2. सभापति ने विधि उप मंत्री श्री मुहम्मद यूनस सलीम को जोकि प्रवर समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के अनुसरण में बैठक में उपस्थित होने की अनुमति दी ।

3. समिति ने अपनी बैठक की कार्यवाही आरम्भ होने से पहले श्री माली मरियप्पा, संसद् सदस्य, की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए निम्नलिखित संकल्प पास किया :—

"समिति लोक सभा के सदस्य और अपने माननीय सहयोगी श्री माली मरियप्पा के दुःखद तथा अचानक निधन पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है ।"

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।

4. इसके बाद सभापति ने समिति को सूचित किया कि प्रवर समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुसरण में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है जिसके द्वारा विधेयक के उपबन्धों के बारे में व्यक्तियों/संस्थाओं आदि से ज्ञापन आमंत्रित किये गये हैं और उनसे निवदन किया गया है कि यदि वे चाहें तो समिति के सामने अपना मौखिक साक्ष्य दें । प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा लगभग 180 व्यक्तियों (इनमें आचार्य विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण शामिल हैं)/संस्थाओं आदि से, जोकि कला एवं साहित्य आदि के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेष रूप से निवेदन किया गया है कि वे प्रवर समिति को ज्ञापन प्रस्तुत करें और मौखिक साक्ष्य दें । सभापति ने समिति को आगे बताया कि केवल 6 व्यक्तियों/संस्थाओं से ज्ञापन मिले हैं जिनमें से केवल तीन व्यक्तियों ने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने की इच्छा व्यक्त की है । इन व्यक्तियों के नाम ये हैं—श्री आर० के० दास गुप्त, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विभाग के अध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री जिम्मी ओलिलिया, सचिव, भारत का चलचित्र महासंघ, बम्बई, और श्रीमती यू० लक्ष्मी कान्तमा तेलगू के लघु कथाकार तथा समालोचक, बापतला, गुन्टूर (आन्ध्र प्रदेश) ।

सभापति ने समिति को यह भी बताया कि निम्नलिखित व्यक्तियों ने समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपनी असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि उन्हें कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा :—

(1) डा० वी० राघवन, संस्कृत के प्राध्यापक, मद्रास विश्वविद्यालय ।

(2) श्री गोबिन्द माल्ही, सिन्धी के लघु कथाकार और पत्रकार, बम्बई ।

(3) श्री ए० आर० देशपान्डे, मराठी के प्रख्यात कवि तथा समालोचक, नागपुर ।

सभापति ने समिति को आगे सूचित किया कि आचार्य विनोबा भावे तथा श्री जयप्रकाश नारायण से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री मुलक राज आनन्द ने अगले कुछ सप्ताहों में अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपनी असमर्थता व्यक्त की है । साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, और संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली, ने भी समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त किया है ।

5. जैसा कि कुछ व्यक्तियों ने यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देने का अनुरोध किया था उसके सम्बन्ध में समिति ने निश्चय किया कि इन व्यक्तियों से पहले समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाये और ज्ञापन का अवलोकन कर लेने के बाद यदि सभापति अनुभव करें कि उस ज्ञापन में ऐसी बातें दी गई हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण तथा विशदीकरण कराने की गुंजाइश है, तो वह सम्बन्धित व्यक्तियों को बुलवायें और इस बारे में निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अदा किया जाये ।

6. इसके बाद समिति ने यह इस प्रश्न पर चर्चा की कि क्या सभापति द्वारा दी गई जानकारी के प्रसंग में एक नई प्रेस विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए । थोड़ी चर्चा के बाद समिति ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में जनता से ज्ञापन प्राप्त होने की तारीख को 30 जून, 1968 तक बढ़ा देने का निश्चय किया और अनुबन्ध में दिये गये रूप में प्रेस विज्ञप्ति का अनुमोदन किया।

7. विधेयक के उपबन्धों के महत्व तथा उनके गम्भीर फलितार्थों को ध्यान में रखते हुए समिति ने अनुभव किया कि विधेयक के बारे में अपना प्रतिवेदन सभा को पेश करने से पहले विषय वस्तु का समिति द्वारा गहन अध्ययन किया जाये । तदनुसार समिति ने सभा के सामने अपना प्रतिवेदन पेश करने का समय बढ़ाने के लिये अनुमति लेने का निश्चय किया और सभा में इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव पेश करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया ।

8. इसके पश्चात् समिति ने उपर्युक्त गवाहों द्वारा दिये गये साक्ष्य को सुना ।

9. गवाहों द्वारा दिये गये साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया ।

10. तत्पश्चात् समिति शुक्रवार, 7 जून, 1968 को 11 बजे फिर बैठक करने का निश्चय कर स्थगित हुई ।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 7 जून, 1968 को 11.00 से 12.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम––सभापति

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री ग्रार० डी० भण्डारे
4. श्री चन्द्रिका प्रसाद
5. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
6. डा० महादेव प्रसाद
7. श्री बाकर ग्रली मिर्जा
8. श्री पीलू मोदी
9. श्री ग्रमृत नाहाटा
10. श्री के० एस० रामस्वामी
11. श्री वी० सम्बशिवम
12. श्री द्वैपायन सेन
13. श्री शशि भूषण
14. श्री शिव नारायण
15. श्री ग्रार० के० सिन्हा
16. श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी
17. श्री दीवान चन्द शर्मा

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा––संयुक्त सचिव तथा वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री जी० एस० कपूर––ग्रवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला––उप सचिव

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम, विधि उपमंत्री भी लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के ग्रन्तर्गत सभापति की ग्रनुमति से बैठक में उपस्थित हुए।

2. विधेयक के बारे में जनता से ज्ञापनों के प्राप्त होने का समय बढ़ाने के लिए समिति द्वारा पहले किये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभापति ने सदस्यों से यह सुझाव मांगे कि विधेयक के बारे में ज्ञापन भेजने के लिए ग्रौर समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए भी वे किन-किन व्यक्तियों, संस्थाग्रों को सम्बोधित कराना चाहते हैं। सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सम्बोधित करने के लिए कुछ प्रख्यात लेखकों, चलचित्र निर्माताग्रों तथा प्रदर्शकों, विज्ञापनकारों, विद्वज्जनों ग्रादि के नाम सुझाये (परिशिष्ट)। यह भी निश्चय किया गया कि देशभर में स्थित कुछ मुख्य विश्वविद्यालयों के ग्रंग्रेजी साहित्य तथा संस्कृत के प्राध्यापकों से विधेयक के उपबन्धों पर उनकी टिप्पणियां ग्रामंत्रित करने के लिए उन्हें लिखा जाये।

3. तत्पश्चात् सभापति ने यह स्पष्ट किया कि––समिति के विचाराधीन विधेयक में तीन प्रयोजन ध्यान में रखे गये हैं अर्थात् 'अश्लील' शब्द के अर्थ को परिभाषित करना, धारा 292 के अन्तर्गत अपराधों के लिए दण्ड में वृद्धि और––विज्ञान, साहित्य एवं कला आदि के हित में किसी ऐसी सामग्री को, जिस पर मूल अधिनियम के दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध लागू होते हों, विधि प्रवर्तन से छूट देने के अपवादों के क्षेत्र को बढ़ाना। उन्होंने जनता के नैतिक स्तर पर बुरा प्रभाव डालने में विधेयक के उपबन्धों के गम्भीर परिणामों के बारे में सदस्यों को सचेत किया और इस कारण से यह इच्छा व्यक्त की––कि इस मामले पर गहन विचार किया और––चर्चा की जाये ताकि समिति विधेयक पर अपने विचारों को अन्तिम रूप दे सके।

4. इसके बाद सदस्यों ने उस प्रेस विज्ञप्ति के प्रति जनता की ओर से दिखाई गई निष्क्रियता का उल्लेख किया जो कि समिति ने 8 मई, 1968 को जारी की थी और जिसके द्वारा किसी प्रकार की कला, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, चित्रकारी, मूर्तिकला, नृत्यकला, विज्ञापनकला, चित्र निर्माण तथा प्रदर्शन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को कहा गया था कि वे समिति के विचारार्थ ज्ञापन भेजें और यदि वे चाहें तो समिति के सामने मौखिक साक्ष्य देने के लिए आगे आयें। श्री पीलू मोदी ने विचार व्यक्त किया कि लब्ध-प्रतिष्ठ चित्रकारों, शिक्षाविदों नर्तकों, विज्ञापनकारों और चित्र निर्माण तथा प्रदर्शन से सहयोग करने वाले व्यक्तियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे मौखिक साक्ष्य देने के लिए अपने व्यवसाय/कामों को छोड़कर दिल्ली आयें क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। उनके 'व्यवसाय' अन्य व्यवसायों से स्पष्टतः भिन्न है क्योंकि ये व्यवसाय व्यक्तिगत ढंग के हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई चलचित्र अभिनेता/अभिनेत्री अपने काम को छोड़ कर एक-दो दिन के लिए भी आते हैं तो उनका फिल्म-निर्माण कार्य बहुत अधिक अव्यवस्थित हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप सैंकड़ों व्यक्तियों को निष्क्रिय बैठा रहना पड़ेगा और भारी आर्थिक हानि होगी। श्री अमृत नाहाटा तथा अन्य सदस्य इस विचार से सहमत थे। विधेयक के प्रभारी सदस्य श्री दीवान चन्द शर्मा ने भी यही विचार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि समिति को चाहिये कि विधेयक के उपबन्धों पर अपनी राय को अन्तिम रूप देने से पहले वह इस मामले की सभी भलाई-बुराई पर पूरी तरह विचार करे। उन्होंने यह राय प्रकट की कि यदि समिति बम्बई जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का जहां कि कला, साहित्य आदि में रुचि रखने वाले प्रख्यात कलाकार, चित्रकार, नर्तक, चलचित्र निर्माता तथा प्रदर्शक, साहित्यकार तथा संस्थाएं अधिक संख्या में विद्यमान हैं, दौरा करें और विधेयक के उपबन्धों पर उनकी राय जान लें तो समिति का काम बहुत आसान हो जायेगा। सदस्यों ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि––विधेयक सम्बन्धी राज्य सभा की समिति पहले ही बम्बई का दौरा कर चुकी है और वहां के केवल थोड़े से ही––व्यक्तियों की राय पर विचार किया है।

5. थोड़ी चर्चा के बाद, समिति ने विधेयक में रुचि रखने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए अपनी आगामी बैठकें बम्बई में 15 जुलाई से 17 जुलाई, 1968 तक करने का निश्चय किया। समिति ने इस बारे में अध्यक्ष महोदय की आवश्यक अनुमति मांगने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

6. समिति के सदस्य श्री अमृत नाहाटा के इस सुझाव का अनुमोदन भी किया कि विधेयक के बारे में समिति के सामने साक्ष्य देने के लिए निम्नलिखित चलचित्र निर्माताओं/लेखकों को आमंत्रित किया जाये :––

(एक) श्री बलराज साहनी, थियोसोफिकल कालोनी, जूहू, सेन्टाक्रुज, बम्बई–54.

(दो) श्री शान्ताराम, राजकमल कला मन्दिर, गवर्नमेंट गोलगेट रोड, परेल, बम्बई–12 डी० डी०

(तीन) श्रीमती नरगिस दत्त, 58 पालीहिल, बान्द्रा, बम्बई–50.

(चार) श्रीमती वहीदा रहमान, 1 पूनम, नैपियन सी रोड, बम्बई–6.

(पांच) श्री के० बी० अब्बास, फिलोमेना, जूहू रोड, जूहू, बम्बई–54.

7. इसके पश्चात् इस बात के साथ सोमवार, 15 जुलाई, 1968 (मध्याह्न पूर्व) तक के लिये स्थगित हुई कि अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन मिलने पर बैठक बम्बई में होगी अन्यथा संसद् भवन, नई दिल्ली में होगी।

––––––

अनुबन्ध

उन व्यक्तियों/संस्थाओं/विज्ञापकों की सूची जिनका भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 के उपबन्धों पर मौखिक साक्ष्य लेने के लिए सदस्यों ने सुझाव दिया

1. चलचित्र डिवीजन का नियंत्रक, भारत सरकार, बम्बई
2. सभापति तथा सदस्य, चलचित्र सेंसर बोर्ड परिषद्, बम्बई
3. डा० यूसफ हुसैन, शिमला
4. श्री सुबोध मुकर्जी, चलचित्र निर्माता, 13वीं खार रोड, बम्बई
5. श्रीमती सोफिया वाडिया, सम्पादक, आर्यपथ, मालाबार हिल्स, बम्बई
6. श्री वृन्दाबन लाल बर्मा, झांसी
7. श्री सुमित्रा नन्दन पन्त मार्फत "सरस्वती", इलाहाबाद
8. श्री आर० के० करंजिया, सम्पादक, ब्लिट्ज़, बम्बई
9. श्री महाजनी, सम्पादक, "लोक सत्ता," बम्बई
10. श्री उदय शंकर, नृत्य कलाकार, बम्बई
11. श्री कृष्णचन्द्र, मार्फत सागर निजामी, आकाशवाणी, नई दिल्ली
12. श्री इस्मत चुगाई, मार्फत सागर निजामी, आकाशवाणी, नई दिल्ली
13. "उलका" के श्री बालमुकन्द, बम्बई
14. "लिन्टाज़" के श्री जार्सन डा कून्हा, बम्बई
15. "एम० सी० एम०" के श्री केरसी कात्रक, बम्बई
16. विपणन तथा विज्ञापन के श्री परीर भाई, बम्बई
17. "क्लेरियन" की श्रीमती तारा सिन्हा, बम्बई
18. ओबराय होटल्स के श्री बिकि ओबराय, नई दिल्ली
19. मैसर्स जे० वाल्टर थाम्पसन कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड, बम्बई
20. एवरेस्ट (एडवर्टाइजर्ज)
21. श्री बी० एन० गोस्वामी, ललित कला विभाग के प्रमुख, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 15 जुलाई, 1968 को 15—00 से 16—30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बाकर अली मिर्जा —पीठासीन

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री स० मो० बनर्जी

4. श्री आर० डी० भण्डारे

5. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले

6. श्री एस० एम० कृष्ण

7. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई

8. डा० महादेव प्रसाद

9. श्री पीलू मोदी

10. श्री अमृत नाहाटा

11. श्री के० एस० रामस्वामी

12. श्री शशि भूषण

13. श्री शिवनारायण

14. श्री विद्याचरण शुक्ल

15. श्री आर० के० सिन्हा

16. श्री अटल बिहारी वाजपेयी

17. श्री दीवान चन्द शर्मा

वैधानिक परामर्शदाता

श्री आर० वी० एस० पैरी-शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री जी० एस० कपूर, अवर सचिव

सचिवालय

श्री के० एस० भल्ला —वरिष्ठ संसदीय भाष्यांतरकार,

2. समिति के सभापति श्री तेन्नेटि विश्वनाथम की अनुपस्थिति के कारण नियम 258 (3) के अन्तर्गत श्री बाकर अली मिर्जा को बैठक के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया।

3. सभापति ने विधि मंत्री—श्री पी० गोविन्द मेनन को जो कि प्रवर समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 299 के अनुसरण में बैठक में उपस्थित होने की अनुमति दी।

4. सभापति ने श्री तेन्नेटि विश्वनाथम से प्राप्त एक टिप्पणी पढ़ कर सुनाई जिसमें बैठक में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त की गई थी क्योंकि उन्हें श्री नाथ पाई, संसद् सदस्य, के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 सम्बन्धी संयुक्त समिति की बंगलौर में होने वाली बैठक में उपस्थित होना था।

5. समिति ने विधेयक के बारे में प्राप्त हुए तथा सदस्यों में परिचालित किये गये ज्ञापनों से उत्पन्न विभिन्न बातों पर चर्चा की।

6. निर्धारित तारीख 16 जुलाई, 1968 को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये गवाहों की असमर्थता को ध्यान में रख कर समिति ने उस दिन होने वाली अपनी बैठक स्थगित करने का निश्चय किया।

7. इसके बाद समिति साक्ष्य सुनने के लिए बुधवार, 17 जुलाई, 1968 को 15–00 बजे फिर बैठक करने का निश्चय कर स्थगित हुई।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 17 जुलाई, 1968 को 3.00 म० प० से 6.00 बजे म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम --सभापति

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री स० मो० बनर्जी
4. श्री ग्रार० डी० भण्डारे
5. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
6. श्री एस० एम० कृष्ण
7. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई
8. डा० महादेव प्रसाद
9. श्री बाकर अली मिर्जा
10. श्री पीलू मोदी
11. श्री अमृत नाहाटा
12. श्री के० एस० रामस्वामी
13. श्री द्वैपायन सेन
14. श्री शशि भूषण
15. श्री शिवनारायण
16. श्री विद्याचरण शुक्ल
17. श्री ग्रार० के० सिन्हा
18. श्री अटल बिहारी बाजपेयी

वैधानिक परामर्शदाता

श्री ग्रार० वी० एस० पेरी-शास्त्री, अतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री जी० एस० कपूर, अवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला --उप सचिव

साक्षी

1. श्री अरुण प्रकाश अवस्थी, मंत्री, 'ज्योत्सना', 52, स्ट्रैन्ड रोड, कलकत्ता-7
2. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ एसोसिएशन ग्राफ इंडिया, बम्बई

प्रवक्ता :—

(1) श्री वी० एस० जोशी

(2) श्री डी० पी० प्रिंजा

2. सभापति ने समिति को सूचित किया कि प्रवर समिति द्वारा जून, 1968 में हुई अपनी पिछली बैठक में किए गए निश्चयों के अनुसरण में विधेयक पर ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए समय 30 जून, 1968 तक बढ़ाते हुए एक प्रैस विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी और 26 संस्थाओं/विज्ञापकों/चलचित्र निर्माताओं/लेखकों आदि को पत्र भेज दिए गए थे उन पत्रों में विधेयक पर विचार आमंत्रित किए गए थे और यह भी पूछा गया था कि क्या वे समिति के समक्ष साक्ष्य देना चाहेंगे। उनसे यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उन के साक्ष्य की सुनवाई के लिए समिति की बैठक बम्बई में होगी। देश के 32 बड़े विश्वविद्यालयों के आंग्ल-भाषा तथा संस्कृत के विभागाध्यक्षों को भी, विधेयक के उपबन्धों पर, उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए, पत्र लिख दिए गए थे।

समिति की इच्छानुसार समिति की आगामी बैठक बम्बई में करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति मांगी गई और उन्होंने अनुमति दे दी। परन्तु बम्बई विधान मण्डल सचिवालय ने इस कारण सदस्यों के लिए पर्याप्त निवास-स्थान की व्यवस्था करने में असमर्थता व्यक्त की कि संगत तारीखों को उन की अपनी सभा का सत्र चल रहा था, इसलिए बम्बई में समिति की प्रस्ताबित बैठकें मन्सूख कर दी गई।

चलचित्र जगत आदि से सम्बद्ध 26 व्यक्तियों/संस्थाओं में से, जिन्हें पत्र लिखे गये थे, अभी तक केवल चार ही ने उत्तर दिया है। तीन ने (जिन में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का चलचित्र डिवीज़न भी शामिल है) समिति के समक्ष साक्ष्य देने में असमर्थता व्यक्त की और चौथे ने (श्रीमती नर्गिस सुनील दत्त) बताया कि 15 से 17 जुलाई तक, जिन तारीखों को समिति की वहां बैठक होगी, वह बम्बई में नहीं होंगी।

इस सम्बन्ध में जिन 32 विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे गए थे उन में से पांच ने विधेयक पर कोई टिप्पणी देने में असमर्थता व्यक्त की। नागपुर, अलीगढ़ और राजस्थान विश्वविद्यालयों ने विधेयक पर ज्ञापन भेजे जो परिचालित कर दिए गए। नागपुर विश्वविद्यालय के आंग्ल-भाषा तथा संस्कृत के विभागाध्यक्षों ने भी समिति के समक्ष उपस्थित होने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें 16 जुलाई, 1968 को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया। परन्तु उन्होंने 12 जुलाई, 1968 को सचिवालय को सूचित किया कि वे 16 जलाई को समिति के समक्ष तभी उपस्थित हों सकेंगे यदि उन्हें आने-जाने का विमान किराया दिया जाए; अन्यथा उन्होंने समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कोई बाद की तारीख दिए जाने के लिए अनुरोध किया। उन्हें सूचित कर दिया गया कि उनके अनुरोध को समिति के समक्ष रख दिया जायेगा।

दूसरी प्रैस विज्ञप्ति जारी किये जाने के पश्चात् नौ अन्य व्यक्तियों/निकायों से ज्ञापन प्राप्त हुए और उन सब को परिचालित कर दिया गया। उन में से तीन ने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने की इच्छा भी व्यक्त की। उन में से दो को अर्थात्, श्री अरुण प्रकाश अवस्थी, कलकत्ता के "ज्योत्स्ना" के मंत्री और श्री वी० एस० जोशी, मंत्री, एडवर्टाईज़िग एजेंसीज़ एसोसिएशन आफ इंडिया, बम्बई, को 17 जुलाई, 1968 को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। तीसरे व्यक्ति, मद्रास के डा० वी० राघवन ने, जिन के अनुरोध पर समिति ने पहले विचार किया था, दिल्ली आने और वापसी का विमान किराया दिये जाने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्हें नहीं बुलाया गया।

3. समिति ने विधेयक पर साक्ष्य देने के इच्छुक प्रसिद्ध चलचित्र अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, निर्देशकों, निर्माताओं, कला आलोचकों, चलचित्र जर्नलों, महिला-पत्रिकाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला-संगठनों तथा अन्य लोगों के साक्ष्य की सुनवाई के लिए 10 से 18 सितम्बर, 1968 तक (यदि आवश्यक समझा गया तो यह अवधि बढ़ाई जा सकती है) बम्बई में बैठकें करने का फैसला किया। इस प्रयोजनार्थ समिति ने बम्बई के कौंसिल हाल में प्रति दिन 10.00 बजे से 13.00 बजे तक और 15.30 बजे से 17.30 बजे तक दो बैठकें करने का फैसला किया।

4. समिति ने यह फैसला भी किया कि बम्बई में विभिन्न प्रकार से कला, चलचित्र तथा महिला-पत्रिकाओं, महिला संगठनों, सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाले उपरोक्त सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों को फिर से पत्र लिखे जायें (श्री पीलू मोदी, श्री अमृत नाहाटा और श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई के परामर्श से) जिनमें उन्हें बम्बई में समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाय। समिति ने यह अग्रेतर फैसला किया कि ललवानी पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित "दी रूट्स आफ औबसीनिटी", जिसका "क्वैस्ट" पत्रिका के नवम्बर अंक में पुनर्विलोकन किया गया था, के सम्पादक श्री ए० बी० शाह को आमंत्रित किया जाय और उनसे अनुरोध किया जाय कि वह पुस्तक की दो प्रतियां समिति के देखने के लिए भेजें जिन्हें देख लेने के पश्चात् संसद् ग्रन्थालय को भेज दिया जाये।

5. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि बम्बई में विधेयक पर साक्ष्य देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से भी अनुरोध किया जाये :—

(1) श्री सी० पी० के० थारागन, प्रोफेसर-इनचार्ज, विश्वविद्यालय आंग्ल-भाषा संस्था, केरल विश्वविद्यालय।

(2) मिस दुर्गा भागवत, बम्बई।

समिति ने मद्रास के डा० राघवन और आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा को भी 3 अगस्त, 1968 को दिल्ली में साक्ष्य देनेके लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किये जाने की इच्छा व्यक्त की और इस प्रयोजनार्थ उन्हें दिल्ली तक का आने-जाने का विमान-किराया देने का फैसला किया।

6. समिति ने फैसला किया कि जिन व्यक्तियों को उसने साक्ष्य के लिए आमंत्रित किया है उन में से जो साक्षी अब से बाद इस प्रयोजनार्थ बाहर से आयें उन सब को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

7. समिति ने फैसला किया कि नागपुर विश्वविद्यालय के आंग्ल-भाषा तथा संस्कृत के विभागाध्यक्षों को, जो साक्ष्य देने के लिए 16 जुलाई, 1968 को दिल्ली नहीं आ सके थे, किसी अन्य तारीख को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है।

8. समिति ने यह फैसला भी किया कि समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये जाने का समय लोक-सभा के शरद्-कालीन सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाये जाने के लिए कहा जाय और सभापति को या, उनकी अनुपस्थिति में, श्री बाकर अली मिर्जा को सभा में आवश्यक प्रस्ताव पेश करने के लिए प्राधिकृत किया।

9. उसके पश्चात् निम्नलिखित साक्षियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया। साक्ष्य दिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश संख्या 58 की ओर आकर्षित किया :—

(1)	श्री अरुण प्रकाश अवस्थी, मंत्री, "ज्योत्सना", कलकत्ता		(15.00 बजे से 16.30 बजे तक)
(2)	श्री वी० एस० जोशी श्री डी० पी० प्रिंजा	एडवर्टाजिंग एजेंसीज़ एसोसिएशन आफ इंडिया, बम्बई	(16.30 बजे से 18.00 बजे तक)

10. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

11. उसके पश्चात् समिति साक्ष्य की सुनवाई के लिए 3 अगस्त, 1968 तक के लिए स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 3 अगस्त, 1968 को 10.30 म० पू० से 1.30 बजे म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम—**सभापति**

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री आर० डी० भण्डारे
4. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
5. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
6. श्री बाकर अली मिर्जा
7. श्री के० एस० रामस्वामी
8. श्री आर० के० सिन्हा
9. श्री दीवान चन्द शर्मा

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

श्री ग्रार० वी० एस० पेरी–शास्त्री, ग्रतिरिक्त वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० एस० वर्मा, उप-सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—–उप-सचिव

साक्षी

1. डा० वी० राघवन, संस्कृत प्राध्यापक, मद्रास विश्वविद्यालय
2. श्रीमती यू० लक्ष्मीकान्तम्मा, बापतला, जिला गण्टूर (ग्रा० प्र०)
3. श्री शशिधर बाजपेयी, 128-सी/8, किदवई नगर, कानपुर

2. इससे पहले कि निम्नलिखित गवाह साक्ष्य दें, सभापति ने ग्रध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ग्रोर उनका ध्यान दिलाया :

1. डा० वी० राघवन, संस्कृत प्राध्यापक, मद्रास विश्वविद्यालय	10.30 से 11.45 बजे तक
2. श्रीमती यू० लक्ष्मीकान्तम्मा (तेलुगू लेखिका) बापतला (जिला गण्टूर) ग्रा० प्र०	11.47 से 12.30 बजे तक
3. श्री शशिधर बाजपेयी, (मानव सेवा संघ का प्रतिनिधित्व किया) 128-सी/8 किदवई नगर, कानपुर	12.32 से 13.30 बजे तक

3. साक्ष्य का शब्दशः ग्रभिलेख रखा गया ।

4. सभापति ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका 'समाज कल्याण' के ग्रगस्त, 1968 के ग्रंक में निकले श्री जय प्रकाश गुप्त, श्रोता ग्रनुसंधान ग्रधिकारी, ग्राकाशवाणी, जयपुर, के 'नैतिक ढांचे में बढ़ती हुई दरारें' (वाइडिनिंग क्रेक्स इन दि मोरल स्ट्रक्चर) शीर्षक लेख की ग्रोर समिति का ध्यान दिलाया । सभापति ने इस लेख में कुछ ग्रंश पढ़ कर सुनाया जिस में ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन तथा ग्रन्य यूरोपीय देशों जैसे कुछ प्रगतिशील देशों में 'ग्रश्लीलता' से सम्बन्धित मामलों के बारे में नवीनतम विचारों के विषय में बताया गया था ।

तत्पश्चात् समिति ने लोक-सभा के चालू सत्र के दौरान किसी दिन साक्ष्य देने के लिए इस लेखक को बुलाने का निश्चय किया ।

इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई ।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 29 ग्रगस्त, 1968 को 4.00 म० प० से 5.00 बजे म० प० तक हुई ।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्—–**सभापति**

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री स० मो० बनर्जी

4. श्री आर० डी० भण्डारे
5. श्री जेड० एम० काहनडोले
6. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
7. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
8. डा० महादेव प्रसाद
9. श्री बाकर अली मिर्जा
10. श्री अमृत नाहाटा
11. श्री के० एस० रामस्वामी
12. श्री द्वैपायन सेन
13. श्री शशि भूषण

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा वैधानिक परामर्शदाता, विधि मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एम० एस० वर्मा, उप-सचिव
2. श्री जी० एस० कपूर, अवर सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप सचिव

गवाही

श्री जय प्रकाश गुप्त, श्रोता अनुसंधान अधिकारी, आकाशवाणी, जयपुर

2. आरम्भ में सभापति ने निम्नलिखित गवाह का ध्यान निदेश 58 की ओर दिलाया :

श्री जय प्रकाश गुप्त, श्रोता अनुसंधान अधिकारी, आकाशवाणी, जयपुर

3. साक्ष्य देते हुये श्री गुप्त ने जयपुर के दो हिन्दी दैनिक पत्रों 'राजदूत' तथा 'राजस्थान' पत्रिका से दो प्रेस उद्धरण प्रस्तुत किये जिन में 'गौरी' और 'जिप्सी' दो चलचित्रों के कुछ दृश्यों का चित्रण किया गया था जिन्हें श्री गुप्त ने 'अश्लील' ठहराया।

4. साक्ष्य का शब्दश: अभिलेख रखा गया।

5. तत्पश्चात् समिति आगे साक्ष्य सुनने के लिये अपनी बैठक 16 सितम्बर, 1968 को तथा उससे अगली तारीखों को बम्बई में करने का निश्चय कर स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 16 सितम्बर, 1968 को 10.00 म० पू० से 1.00 बजे म० प० तक और फिर 3.30 म० प० से 4.50 बजे म० प० तक काउन्सिल हाल, बम्बई, में हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम—**सभापति**

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री आर० डी० भण्डारे

4. श्री चन्द्रिका प्रसाद
5. श्री यशवन्तराव चव्हाण
6. श्री जेड० एम० काहनडोले
7. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
8. श्री एस० एम० कृष्ण
9. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
10. डा० महादेव प्रसाद
11. श्री बाकर अली मिर्जा
12. श्री पीलू मोदी
13. श्री अमृत नाहाटा
14. श्री के० एस० रामस्वामी
15. श्री शशि भूषण
16. श्री शिव नारायण
17. श्री विद्या चरण शुक्ल
18. श्री आर० के० सिन्हा
19. श्री अटल बिहारी वाजपेयी

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एस० एस० वर्मा—उप-सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

आरम्भ में सभापति ने विधान सभा के होस्टल में काफी पहले स्थान का आरक्षण कराये जाने के और महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसकी पुष्टि करने के बावजूद भी बम्बई में सदस्यों के पहुंचने पर कुछ सदस्यों को रहने का स्थान उपलब्ध न होने से उन्हें हुई असुविधा पर अपनी चिन्ता व्यक्त की। सभापति ने अनुभव किया कि भविष्य में संसदीय समितियों विशेष रूप से संयुक्त समितियों/प्रवर समितियों की बैठकें राज्यों की राजधानियों के बजाय, जहां कि सदस्यों को थोड़े समय के लिए ठहरने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि नई दिल्ली में हों तो शायद ज्यादा अच्छा होगा।

2. इससे पहले कि निम्नलिखित गवाह अपना साक्ष्य देना आरम्भ करें उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया गया :

I. पश्चिम भारत चलचित्र संस्था, बम्बई

1. श्री जे० पी० तिवारी
2. श्री जे० एन० धर — 10.00 से 11.10 बजे तक
3. श्री बी० एन० कुलकर्णी

II. प्रोफेसर ए० बी० शाह, निदेशक, कार्यक्रम, भारत, सांस्कृतिक स्वातंत्र्य की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, बम्बई-1 — 11.30 से 13.00 बजे तक

समिति ने 17 तथा 18 सितम्बर, 1968 को सुनी जाने वाली गवाहियों की पुनरीक्षित सूची का अनुमोदन किया।

तत्पश्चात् समिति 15.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

3. समिति मध्याह्न भोजन के पश्चात् पुनः समवेत हुई और 15.30 से 16.50 बजे तक निम्नलिखित गवाह का साक्ष्य सुना :—

श्री जग मोहन, लेखक, कला समालोचक तथा चलचित्र कलाविद् और चलचित्र सेन्सर के केन्द्रीय बोर्ड की सलाहकार तालिका के भूतपूर्व सदस्य, बम्बई

इसके पश्चात् समिति काउंसिल हाल, बम्बई, में 17 सितम्बर, 1968 को 10.00 बजे पुनः बैठक करने का निश्चय कर स्थगित हुई ।

नौ

नौवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 17 सितम्बर, 1968 को बम्बई के कौंसिल हाल में 10 म० पू० से 1.15 बजे म० प० तक और फिर 3.20 म० प० से 5.20 बजे म० प० तक हुई ।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्—सभापति

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री आर० डी० भण्डारे
4. श्री चन्द्रिका प्रसाद
5. श्री यशवन्तराव चव्हाण
6. श्री जेड० एम० काहनडोल
7. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
8. श्री एस० एम० कृष्ण
9. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
10. डा० महादेव प्रसाद
11. श्री बाकर अली मिर्जा
12. श्री पीलू मोदी
13. श्री अमृत नाहाटा
14. श्री के० एस० रामस्वामी
15. श्री शशि भूषण
16. श्री शिव नारायण
17. श्री विद्या चरण शुक्ल
18. श्री आर० के० सिन्हा
19. श्री अटल बिहारी वाजपेयी

गृह-कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री एस० एस० वर्मा—उप-सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप-सचिव

समिति ने निम्नलिखित साक्षियों का साक्ष्य सुना (उन के द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पूर्व सभापति ने अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर उन का ध्यान आकर्षित किया) :

1. श्री टी० एम० रामचन्द्रन, सम्पादक तथा प्रकाशक फिल्म वर्ल्ड, बम्बई	10.00 म० पू० से 11.05 बजे म० पू० तक
2. श्रीमती मालिनी बिसन, पत्रकार, बम्बई	11.06 से 11.55 बजे तक
3. श्री आई० एस० जौहर, चेयरमैन, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्ज एसोसिएशन, बम्बई	12.00 बजे से 1.15 बजे म० प० तक

समिति इस पर भी सहमत हुई कि (एक) उसी दिन 5 बज म० प० पर भारतीय प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता एसोसिएशनों की फैडरेशन, बम्बई, के प्रतिनिधियों के और (दो) 18 सितम्बर, 1968 को 9.30 बजे म० पू० पर श्री अलोक पदमसी, उप-प्रधान, थियेटर ग्रुप, बम्बई के मौखिक साक्ष्य की सुनवाई की जाय।

उसके पश्चात् समिति 1.02 बजे म० प० पर मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

समिति मध्याह्न भोजन के पश्चात् 15.20 बजे पुनः समवेत हुई और उसने निम्नलिखित का साक्ष्य सुना :

4. श्रीमती जयश्री रायजी, बम्बई	3.20 से 3.50 बजे म० प० तक
5. श्रीमती विमलाबाई देशमुख, संसद् सदस्य और श्रीमती तारा सप्रे, संसद् सदस्य	3.51 से 4.09 बजे म० प० तक
6. श्रीमती चन्द्रकला ए० हाटे, बम्बई	4.10 म० प० से 4.45 बजे म० प० तक
7. भारतीय प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता एसोसिएशनों की फैडरेशन, बम्बई (1) श्री जामन एच० शाह (2) श्री जी० एल० मिरचन्दानी	4.52 म० प० से 5.20 बजे म० प० तक

समिति 18 सितम्बर, 1968 के 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 18 सितम्बर, 1968 को 9.30 से 1.00 बजे म० प० तक और फिर 3.00 म० प० से 5.30 बजे म० प० तक बम्बई के कौंसिल हाल में हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्—सभापति

सदस्य

2. श्री विद्या धर बाजपेयी
3. श्री आर० डी० भण्डारे
4. श्री चन्द्रिका प्रसाद
5. श्री जैड० एम० काहनडोल
6. श्री तुलसीराम दशरथ कांबले
7. श्री एस० एम० कृष्ण
8. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई

9. डा० महादेव प्रसाद
10. श्री बाकर अली मिर्जा
11. श्री पीलू मोदी
12. श्री अमृत नाहाटा
13. श्री के० एस० रामस्वामी
14. श्री शशि भूषण
15. श्री शिव नारायण
16. श्री विद्या चरण शुक्ल
17. श्री आर० के० सिन्हा
18. श्री अटल बिहारी वाजपेयी

गृह-कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री एस० एस० वर्मा — उप-सचिव

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला — उप-सचिव

(9.45 बजे तक, जब कार्यवाही आरम्भ हुई, गणपूर्ति नहीं थी)

समिति ने निम्नलिखित साक्षियों का साक्ष्य सुना। साक्ष्य दिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर आकर्षित किया :—

1. श्री अलोक पदमसी, उप-प्रधान थियेटर ग्रुप तथा फिल्म्स, रेडियो एण्ड क्रियेटिव राईटिंग, लिन्टाज़ लिमिटेड, बम्बई के प्रमुख	9.45 म० पू० से 10.45 बजे म० पू० तक
2. प्रोफेसर सी० पी० के० थारागन, प्रोफेसर-इन-चार्ज, विश्व-विद्यालय आंग्ल-भाषा संस्था, त्रिवेन्द्रम	10.45 म० पू० से 11.30 बजे म० पू० तक
3. श्रीमती इन्दुमति जी० टोगाओंकर और श्रीमती इन्दुमति फडके (सामाजिक कार्यकर्ता) बम्बई	11.30 म० पू० से 12.05 बजे म० पू० तक

(इन महिलाओं द्वारा साक्ष्य दिये जाने के समय श्रीमती तारा सप्रे, संसद् सदस्य, पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा से उपस्थित थीं)

4. श्री आर० वी० रंगानाथ, जन सम्पर्क अधिकारी, भारतीय तेल निगम, बम्बई	12.06 से 1.00 बजे म० प० तक

समिति 13.00 बजे मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित हुई।

समिति मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 15.00 बजे पुनः समवेत हुई और निम्नलिखित साक्षियों का ध्यान निदेश 58 की ओर आकर्षित किये जाने के पश्चात् समिति ने उनका साक्ष्य सुना :—

5. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन श्रीमती माथन जे० लाम, बैरिस्टर-एट-ला, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की भूतपूर्व प्रधान; भारतीय महिला वकील संघ की प्रधान; महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद् की भूतपूर्व प्रधान। **6. भारतीय महिला वकील संघ तथा महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद्** श्रीमती सुजाता मनोहर, बैरिस्टर-एट-ला	3.00 म० प० से 4.30 बजे म० प० तक
7. श्री जे० एस० कश्यप, लेखक, निर्माता, कलाकार, बम्बई	4.30 म० प० से 4.45 बजे म० प० तक

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि विधि मन्त्रालय को एक नोट संकलित करने के लिए कहा जाय जिसमें "अश्लीलता" शब्द के लक्ष्यार्थ––इनकी धारणा इत्यादि––जैसे इनकी व्याख्या अमरीका में और राष्ट्रमंडलीय देशों में न्यायालयों ने की हो और जैसे ये इन देशों में दण्ड विधियों में उपबन्धित हों और जैसे ये रूस, पूर्व यूरोपीय आदि विभिन्न समाजवादी देशों में लिये जाते हों, दिये जायें।

समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की "कामी", "नीच हित", "दुराचारी तथा भ्रष्ट व्यक्ति" आदि शब्दों और विधेयक के खण्ड 2 में प्रयुक्त ऐसे अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के गूढ़ार्थों की व्याख्या करने वाले न्यायालयों के निर्णयों के सारांश एकत्रित करने के लिए भी विधि मन्त्रालय से कहा जाय।

सभापति ने महाराष्ट्र विधान मण्डल के सचिव तथा अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बम्बई में बैठक करने के लिए समिति के लिए उपलब्ध की गई सभी सुविधाओं के लिए उनका धन्यवाद किया।

समिति 05.30 बजे म० प० दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रधान तथा मन्त्री के और दिल्ली के प्रीमियर महिला कालेजों में से एक कालेज के छात्र संघ के प्रधान के दिल्ली में विचार सुनने के लिए, जिन्हें इस प्रयोजनार्थ आमन्त्रित किया जाय, अक्तूबर, 1968 के अन्तिम सप्ताह तक के लिए स्थगित हुई।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 16 नवम्बर, 1968 को 11.00 बजे म० पू० से 1.30 बजे म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम––सभापति

सदस्य

2. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
3. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई
4. श्री बाकर अली मिर्जा
5. श्री पीलू मोदी
6. श्री बी० साम्बसिवम्
7. श्री द्वैपायन सेन
8. श्री आर० के० सिन्हा

मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव, और वैधानिक परामर्शदाता, विधि मन्त्रालय।
2. श्री एस० एस० वर्मा, उप-सचिव, गृह-कार्य मन्त्रालय।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला––उप-सचिव

साक्षी

1. श्री अजित सिंह चढा, सभापति, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, दिल्ली।
2. श्री दिनेश कुमार, सांस्कृतिक संयोजक, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, दिल्ली।

2. कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने निश्चय किया कि यदि सदस्य संशोधनों की सूचना देना चाहते हों तो वे देर से देर 2 दिसम्बर, 1968 तक दे दें। इसके पश्चात् विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिये समिति बुधवार, 11 दिसम्बर, 1968 को बैठेगी।

3. समिति ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के निम्नलिखित प्रतिनिधियों की 50 मिनट तक प्रतीक्षा की :—

1. श्री अजित सिंह चड्ढा सभापति, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, दिल्ली।
2. श्री दिनेश कुमार, एम० ए० (फाइनल) करोड़ी मल कालेज, सांस्कृतिक संयोजक, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, दिल्ली।

इन साक्षियों द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पहले, सभापति द्वारा उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया गया। (महिलाओं के कॉलिजों के संघ के छात्रों के प्रतिनिधि नहीं आए)

4. साक्ष्य का सब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. समिति की यह भी इच्छा थी कि प्रस्तावित विधान के सन्दर्भ में "अश्लीलता" पर राजधानी में महिलाओं के कालेजों के संघों के प्रतिनिधियों के विचार भी सुने जायें।

6. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1968 को 3.30 म० प० से 4.40 म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम—**सभापति**

सदस्य

2. श्री स० मो० बनर्जी
3. श्री आर० डी० भंडारे
4. श्री तुलसीराम दशरथ कांबले
5. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
6. श्री मधु लिमये
7. श्री बाकर अली मिर्जा
8. श्री पीलू मोदी
9. श्री द्वैपायन सेन
10. श्री शशि भूषण

मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्धन, संयुक्त सचिव, गृह-कार्य मन्त्रालय।
2. श्री एस० एस० वर्मा, उप-सचिव गृह-कार्य मन्त्रालय।

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव और वैधानिक परामर्शदाता, विधि मन्त्रालय।

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—**उप-सचिव**

2. प्रारम्भ में, सभापति ने निम्नलिखित साक्षियों का, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे, अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर ध्यान दिलाया :—

(1) कुमारी नीलम धमीजा } एम० ए० (प्रीवियस) इतिहास, मिरांडा हाऊस, दिल्ली विश्वविद्यालय।
(2) कुमारी राधा राम }

(3) कुमारी कोकिला जुत्शी — एम० ए० (फाइनल), इन्द्रप्रस्थ कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

साक्ष्य 4.35 बजे म० प० तक चला।

3. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिये 11 दिसम्बर, 1968 से बैठने के समिति के निर्णय का उल्लेख करते हुए, समिति ने विधेयक के प्रभारी सदस्य, श्री दीवान चन्द शर्मा की गम्भीर बीमारी को देखते हुए इसे स्थगित करने का निर्णय किया। समिति ने उनकी बीमारी पर चिन्ता व्यक्त की और आशा की कि वह शीघ्र रोगमुक्त हों। समिति ने निर्णय किया कि चूंकि विभिन्न साक्षियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के सन्दर्भ में विधेयक पर और काफी विचार करने की आवश्यकता है, वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र के अन्तिम दिन तक और आगे बढ़ाने की स्वीकृति ले लें।

5. समिति ने सभापति को, और उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० डी० भंडारे को प्राधिकृत किया कि वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाने के लिये सभा में आवश्यक प्रस्ताव पेश करें।

इसके पश्चात समिति स्थगित हुई।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 21 जनवरी, 1969 को 14.30 से 16.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम—**सभापति**

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री आर० डी० भण्डारे
4. श्री जेड० एम० काह्नडोले
5. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
6. श्री एस० एम० कृष्ण
7. डा० महादेव प्रसाद
8. श्री बाकर अली मिर्जा
9. श्री पीलू मोदी
10. श्री अमृत नाहाटा
11. श्री के० एस० रामस्वामी
12. श्री शशि भूषण
13. श्री शिव नारायण
14. श्री विद्या चरण शुक्ल
15. श्री आर० के० सिन्हा

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० एस० वर्मा, उप-सचिव
2. श्री जी० एस० कपूर, अवर सचिव

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा वैधानिक परामर्शदाता

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—**उपसचिव**

2. समिति ने इस पर सामान्य चर्चा की कि क्या यह वांछनीय है कि एक उपबन्ध रखा जाये जिसके अन्तर्गत किसी सलाहकार समिति के जो कि सरकार द्वारा यह अभिनिश्चत करने के लिए गठित की गई हो कि अमुक पुस्तक, पैम्फलेट पत्र, लिखित सामग्री, चित्र, मुद्रित सामग्री आदि से विज्ञान, साहित्य, कला, ज्ञान आदि की अभिवृद्धि होगी, प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायाधीश कोई निर्णय करे।

3. थोड़ी चर्चा के पश्चात्, यह निश्चय किया गया कि जो सदस्य एक सलाहकार समिति की नियुक्ति के लिए विधेयक में उपबन्ध रखने चाहते हैं, वे अपने-अपने संशोधनों की सूचनायें दें जिन पर समिति 22 जनवरी, 1969 को होने वाली अपनी अगली बैठक में विचार करेगी।

4. तत्पश्चात् समिति 22 जनवरी, 1969 के 14.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौदह

चौदहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 22 जनवरी, 1969 को 14.30 बजे से 16.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम—**सभापति**

सदस्य

2. श्री विद्याधर बाजपेयी
3. श्री आर० डी० भण्डारे
4. श्री जेड० एम० काहनडोले
5. श्री तुलसीराम दशरथ काम्बले
6. श्री एस० एम० कृष्ण
7. श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
8. डा० महादेव प्रसाद
9. श्री वाकर अली मिर्जा
10. श्री पीलू मोदी
11. श्री के० एस० रामस्वामी
12. श्री वी० सम्बशिवम
13. श्री शशि भूषण
14. श्री शिव नारायण
15. श्री विद्याचरण शुक्ल
16. श्री दीवान चन्द शर्मा

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० एस० वर्मा, उप-सचिव
2. श्री जी० एस० कपूर, अवर सचिव

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा वैधानिक परामर्शदाता

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला––उप-सचिव

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया।

3. आरम्भ में समिति ने गहराई से इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या श्री विद्याचरण शुक्ल का संशोधन संख्या 6 इस संशोधी विधेयक के अन्तर्गत आता है। थोड़ी चर्चा के बाद समिति ने अनुभव किया कि विधेयक में एक नया खण्ड जोड़ा जाना चाहिए कि अश्लील सामग्री को आये दिन प्रकाशित करने वाले प्रकाशकों को अच्छे आचरण के लिए बांड भरना आवश्यक होगा। वैधानिक परामर्शदाता से कहा गया कि वह संशोधन का मसौदा तैयार करे। तत्पश्चात् समिति ने इस संशोधन पर अग्रेतर विचार अगली बैठक तक के लिए जिसमें उसने इस मामले पर विधि मन्त्री की भी राय सुनने की इच्छा की, स्थगित कर दिया।

4. इसके बाद समिति ने श्री पीलू मोदी के संशोधन संख्या 1 और 2 को लिया। थोड़ी चर्चा के पश्चात् समिति ने निश्चय किया कि विधेयक के खण्ड 2 के उप-खण्ड (क) में दी गई 'अश्लीलता' की परिभाषा के प्रारूप पर विचार करने के लिए निम्नलिखित उप-समिति नियुक्त की जाये :––

1. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम––सभापति
2. श्री आर० डी० भण्डारे
3. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई
4. श्री पीलू मोदी
5. श्री के० एस० रामस्वामी
6. श्री विद्याचरण शुक्ल
7. श्री वाकर अली मिर्जा

(2–7) सदस्य

5. इस उपसमिति को यह भी प्राधिकार दिया गया कि वह सभी संशोधनों पर विचार करे।

यह निश्चय किया गया कि उप-समिति अपनी बैठक सभापति द्वारा अगले बजट सत्र में निर्धारित किये गये किसी दिन करे।

तत्पश्चात् समिति स्थगित हुई।

पन्द्रह

पन्द्रहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 23 अप्रैल, 1969 को 3.00 म० प० से 3.45 म० प० तक हुई।

उपस्थित

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम––सभापति

सदस्य

2. श्री विद्याधर वाजपेयी
3. श्री स० मो० बनर्जी

4. श्री आर० डी० भंडारे

5. श्री बाकर अली मिर्जा

6. श्री के० एस० रामास्वामी

7. श्री द्वैपायन सेन

8. श्री आर० के० सिन्हा

9. श्री विद्या चरण शुक्ल

गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री जी० एस० कपूर, अवर सचिव

वैधानिक परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव और वैधानिक परामर्शदाता

सचिवालय

श्री मेहर चन्द चावला—उप सचिव

2. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी उप-समिति का प्रतिवेदन प्रवर समिति को पेश किया गया ।

3. इस के पश्चात् समिति ने उप-समिति द्वारा बताये गये संशोधनों को दृष्टिगत रखते हुए विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

4. **खण्ड** 2.—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

5. **खण्ड** 3.—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 3, पंक्ति 21 के पश्चात् यह रखिये :—

(कक) धारा 108 में—

(1) 'जो ऐसी सीमाओं के भीतर अथवा बाहर' शब्दों के पश्चात् '(एक)' रखिये ;

(2) खण्ड (ग) के पश्चात्, यह रखिये—

'(दो) अश्लील साहित्य, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 में उल्लिखित है, तैयार करता है, प्रकाशित करता है, देता है, बेचता है, किराये पर देता है, बांटता है । सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करता है अथवा किसी अन्य प्रकार बांटता है ।'

संशोधित रूप में खण्ड स्वीकृत हुआ ।

6. **खण्ड** 1. निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"1967" के स्थान पर "1969" रखिये ।

संशोधित रूप में खण्ड स्वीकृत हुआ ।

7. **अधिनियम सूत्र**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"अट्ठारवें" के स्थान पर "बीसवें" रखिये ।

संशोधित रूप में अधिनियम सूत्र स्वीकृत हुआ ।

8. **विधेयक का पूरा नाम**—विधेयक का पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

9. इसके पश्चात् समिति ने विधेयक पर, संशोधित रूप में, विचार किया और उसे पास किया ।

10. इसके पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

11. इसके पश्चात् सभापति ने विमति टिप्पणों के बारे में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 87 के उपबन्धों की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाया ।

12. वैधानिक परामर्शदाता को प्राधिकृत किया गया कि वह विधेयक में स्पष्ट त्रुटियों को शुद्ध करे और आनुषंगिक रूप के संशोधन करे ।

13. सभापति ने घोषणा की कि विमति टिप्पण, यदि हों तो, लोक सभा सचिवालय को सोमवार, 28 अप्रैल, 1969 को 5 बजे म० प० तक भेज दिये जायें ।

14. समिति ने यह भी निश्चय किया कि उनके समक्ष दिये गये साक्ष्य को छपा कर सभा-पटल पर रखा जाये ।

15. समिति ने यह भी निश्चय किया कि समिति द्वारा प्राप्त ज्ञापन /अभ्यावेदन सभा-पटल पर रखे जायें और उनका एक सेट संदर्भ के लिये संसद् ग्रन्थालय में भी रखा जाये ।

16. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० डी० भंडारे को प्राधिकृत किया कि वह प्रतिवेदन पेश करे और समिति द्वारा प्राप्त ज्ञापन /अभ्यावेदन 1 मई, 1969 को सभा-पटल पर रखें ।

17. जिस योग्य सौहार्दपूर्ण तरीके से सभापति ने समिति की कार्यवाही का संचालन किया, समिति ने उसकी सराहना की । विधेयक पर विचार किये जाने के विभिन्न प्रक्रमों के दौरान गृह-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह-कार्य उपमंत्री द्वारा दिये गये सहयोग के लिये समिति ने उनकी सराहना की ।

18. समिति ने वैधानिक परामर्शदाता द्वारा दी गई सहायता के लिये उनकी भी सराहना की ।

19. इसके पश्चात् समिति स्थगित हुई ।